(1) <u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 152 / 12</u>

<u>न्यायालयः— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 152 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक—24 / 10 / 11</u> <u>फाइलिंग नं—230303001532012</u>

संतोष आयु 26 साल, पुत्र रामज्ञान राठौर, निवासी ग्राम परीक्षा थाना माता बसैया तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

> ———पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता वि रू द्ध

श्रीमती राधा आयु 23 साल पुत्री रामसनेही पुत्री रामसनेही पत्नी संतोष राठौर, निवासी परीक्षा तहसील व जिला मुरैना, हाल वार्ड नंबर—4, गोहद जिला भिण्ड

———प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय—श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—21/2011 मु.फौ. राधा वि. संतोष में पारित आदेश दिनांक 13/9/2011 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

<u>—::— आ दे श —::—</u> (आज दिनांक 17, अक्टूबर 2014 को पारित किया गया)

1. श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के विविध प्रकरण कमांक—21/2011 मु.फौ. राधा बनाम संतोष में पारित आदेश दिनांक 04/10/2011 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षण/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अंतरिम भरण पोषण आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अंतरिम भरण पोषण संबंधी आलोच्य आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की गयी है, उक्त प्रकरण में भरण पोषण के मूल आवेदनपत्र पर आदेश 03/3/2014 को किया जा चुका है, जिसकी पुनरीक्षण, प्रतिनिगरानीकर्ता श्रीमती राधा द्वारा इस न्यायालय में पेश की जा चुकी है, जो कि निगरानी प्र.क. –70/14 पर इस संचालित है।
- पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन में की गयी निगरानी के 3. सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका राधा अपने जीजा के साथ अनैतिक रूप से रह रही है, और अपने पति से बिना किसी उचित कारण के रहने से मना कर दिया है, वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है । इस तथ्य को ना देखकर गुणदोषों के आधार पर साक्ष्य के लिए छोड दिया गया, इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश कानुनी त्रृटि की है। अतः आलोच्य दिनांक-04/10/11 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।
- 4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं । जबिक प्रत्यर्थी / अनावेदक की ओर से कहा गया कि विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतया उचित है ।
- 5. विचारणीय यह है कि—"क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 04/10/2011 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है?"

<u> -::- निष्कर्ष के आधार -::-</u>

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये प्रपत्रों एवं एवं मूल विविध प्रकरण क्रमांक—21/2011 राधा विरूद्ध संतोष का अवलोकन किया गया।

- 7. मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक—04 / 10 / 2011 को आवेदिका का अंतरिम भरण पोषण का अंतरिम आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अनावेदक को आवेदिका को 1000 / —रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है।
- 8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आज मौखिक रूप से निवेदन कर व्यक्त किया कि उक्त प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिये जाने के कारण उक्त निगरानी प्रभावहीन होने व संचालित नहीं रखना चाहते हुए, इसी स्तर पर निगरानी पर बल नहीं देने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।
- 9. चूंकि पुनरीक्षण याचिका में आक्षेपित आलोच्य आदेश की अवैधानिकता, अनुचितता या औचित्यहीन के संबंध में विचार करना होता है, इसलिये प्रकरण के गुणदोषों पर निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः मूल प्रकरण 21/11 एम.जे. सी. के अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक—4/10/11 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके संबंध में श्रीमती राधा द्वारा इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक—70/2014 पर पुनरीक्षण प्रस्तुत की है ।
- 10. चूंकि अंतरिम भरण पोषण आदेश अन्य आदेश होने तक या अंतिम आदेश होने तक ही प्रभावहीन रहता है । इस पुनरीक्षण याचिका में अंतरिम आदेश के पश्चात 4/10/2011 को अंतिम आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसे इस पुनरीक्षणयाचिका में आक्षेपित नहीं किया किया जा सकता है।
- 11. फलतः वाद विचार पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 152 / 12

पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

दिनांक 17-10-2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी.सी. आर्य) गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)